

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

वर्ष 2010-11के दौरान संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में क्षेत्र-वार सूचना नीचे दी गई है:-

Sector-wise Information in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2010-11 is given below: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष 2010-11के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष 2010-11 के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष 2010-11के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात् 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year 2010-11	Deletion (Other than invoked during the year 2010-11)	Invoked during the year 2010-11	Outstanding at the end of the year (i.e. as on 31.3.2011)	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपयों में) ₹ (In crore of rupees)

क्षेत्र - (i) - विद्युत
Sector - (i) - Power

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां -

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	244.00 (8)	244.00 (8)	—	119.00 (4)	—	—	125.00 (4)	0.31	0.31
---------------------------------------	---------------	---------------	---	---------------	---	---	---------------	------	------

वर्ग- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power	19837.50	17196.84	2640.66	1102.19	—	—	18735.31	212.06	212.06
	(40)	(40)		(3)			(37)		

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

Ministry of New and

Renewable Energy	888.61	697.77	190.84	23.05	—	—	865.56	27.53	27.53
	(5)	(4)	(1)				(5)		

कोयला मंत्रालय

Ministry of Coal	2208.88	2208.88	—	157.68	—	—	2051.20	22.88	24.01
	(5)	(5)					(5)		

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां ।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय

Ministry of Agriculture	1633.67	259.59	1374.08	1631.86	—	—	1.81	0.53	—
	(7)	(6)	(1)	(3)			(4)		

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture	136.28 (4)	136.28 (4)	—	66.28 (2)	—	—	70.00 (2)	—	—
--	---------------	---------------	---	--------------	---	---	--------------	---	---

क्षेत्र - (iii) - सिंचाई
Sector - (iii) - Irrigation

— शून्य / NIL —

क्षेत्र - (iv) - सड़कें और परिवहन
Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

रेल मंत्रालय Ministry of Railway	59.08 (4)	59.08 (4)	—	—	—	—	59.08 (4)	0.59	0.59
-------------------------------------	--------------	--------------	---	---	---	---	--------------	------	------

वर्ग- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-foreign

नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation	19484.70 (19)	18988.04 (16)	496.66 (3)	1434.92 (3)	—	—	18049.78 (16)	105.68	105.68
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways	619.55 (1)	619.55 (1)	—	05.85	18.06	—	595.64 (1)	1.55	1.55

क्षेत्र - (v) - राज्य वित्तीय निगम
Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

क्षेत्र - (vi) - शहरी विकास और आवास
Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय Ministry of HUPA	153.10 (5)	153.10 (5)	—	76.10 (3)	—	—	77.00 (2)	0.28	0.27
--	---------------	---------------	---	--------------	---	---	--------------	------	------

वर्ग- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय

Ministry of HUPA	609.61	609.61	—	14.30	—	—	595.31	5.09	5.09
	(2)	(2)					(2)		

वर्ग- (vi) विदेशों में भारतीय कंपनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

Class - (vi) Performance guarantees given for fulfillment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: -

शहरी विकास मंत्रालय

Ministry of Urban Development	—	—	—	—	—	—	—	1.50	—
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

क्षेत्र - (vii) - अन्य अवसंरचना

Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यवाहन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां ।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

जल संसाधन मंत्रालय

Ministry of Water Resource	—	—	—	—	—	—	—	—	—
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

दूरसंचार विभाग

Department of Telecommunications	7.10	7.10	—	5.00	—	—	2.10	46.67	—
	(1)	(1)					(1)		

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य
Sector - (viii) - Any Other

वर्ग- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय									
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	34495.00 (2)	34495.00 (2)	—	—	—	—	34495.00 (2)	—	—
भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय									
Ministry of Industry Deptt of Heavy Industries	780.95 (26)	772.90 (25)	8.05 (1)	93.98 (1)	—	—	686.97 (25)	11.02	3.81
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग									
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	295.54 (1)	295.54 (1)	—	3.00	—	—	292.54 (1)	57.47	—
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय									
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग									
Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals	2.55 (1)	2.55 (1)	—	—	—	—	2.55 (1)	—	—
औषध निर्माण विभाग									
Department of Pharmaceuticals	1023.84 (5)	1008.12 (5)	15.72	—	—	—	1023.84 (5)	56.83	—

वस्त्र मंत्रालय Ministry of Textiles	1.50 (1)	1.50 (1)	—	—	—	—	1.50 (1)	—	—
इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	120.00 (2)	120.00 (2)	—	—	—	—	120.00 (2)	1.20	1.20
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	18471.40 (19)	18471.40 (19)	—	1078.65 (3)	—	—	17392.75 (16)	46.97	46.97
रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence	255.46 (1)	255.46 (1)	—	—	—	—	255.46 (1)	64.98	64.98

वर्ग- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	5579.22 (17)	5579.22 (17)	—	1460.40	—	—	4118.82 (17)	—	—
इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	413.40 (3)	413.40 (3)	—	—	—	—	413.40 (3)	4.13	4.13
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals	100.00 (1)	100.00 (1)	—	—	—	—	100.00 (1)	1.00	1.00

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग Ministry of Industry Deptt of Heavy Industry	137.28 (2)	137.28 (2)	—	122.28 (1)	—	—	15.00 (1)	—	—
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	3824.44 (28)	2325.60 (25)	1498.84 (3)	838.01 (11)	—	—	2986.43 (17)	1.84	4.32
<p>वर्ग- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-</p> <p>Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-</p>									
इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	454.63 (2)	454.63 (2)	—	3.94	—	—	450.69 (2)	1.11	1.11
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, (NSIC)	61.39 (3)	58.51 (3)	2.88	2.21	—	—	59.18 (3)	0.57	—
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	48091.20 (83)	31573.00 (75)	16518.20 (8)	1061.62	—	—	47029.58 (83)	66.77	19.35

वर्ग- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

Class - (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	610.36 (8)	610.36 (8)	—	—	—	—	610.36 (8)	32.94	6.10
उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग Ministry of Industry, Deptt. of Heavy Industries	10.60 (1)	10.60 (1)	—	—	—	—	10.60 (1)	—	—

वर्ग- (vi) विदेशों में भारतीय कंपनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

Class - (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries:—

भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय Ministry of Industry, Deptt. of Heavy Industries	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---